महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

स्त्री सशक्तिकरण के लिए पितृसत्ता का माइंडसेट बदलना होगा

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अरविंद जैन का कथन

वर्धा दि. 02 नवंबर 2012 : उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अरविंद जैन ने स्त्री संबंधी अनेक कानूनों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए कहा कि किस तरह उनमें खामियाँ हैं जिनका लाभ उठाकर पुरूषवर्ग अपने हित साधता है। न्याय की पूरी प्रक्रिया का 'माइंड सेट' पितृसत्ता मूलक है। अत: जबतक यह 'माइंड सेट' नहीं बदलता तबतक व्यावहारिक रूप से न्याय नहीं मिल सकता। स्त्री सशक्तिकरण के लिए पितृसत्ता का माइंडसेट बदलना जरूरी है।

उक्त बातें उन्होंने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के स्त्री अध्ययन विभाग में स्त्री अध्ययन विभाग में आयोजित व्याख्यान के दौरान कही। अरविंद जैन स्त्री संबंधी मुद्दों के प्रतिष्ठित विद्वान माने जाते हैं तथा इस विषय में उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हैं।

दि. 30 और 31 अक्टूबर को उन्होंने 'संविधान और स्त्री', 'विवाह और परिवार', 'जाति वर्ग और जेंडर' तथा 'स्त्री आंदोलन (कानून के विशेष संदर्भ में)' आदि विषयोंपर पर व्याख्यान दिए। संविधान और स्त्री पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्त्री संबंधी कानूनों में तथा उसके आधार पर आए फैसलों में पितृसत्ता तथा स्त्रियों के साथ भेदभाव की मानसिकता स्पष्ट नजर आती है। विवाह और परिवार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों संस्थाएँ पितृसत्ता और पुरूष वर्चस्व के अंतर्गत संचालित होती है। इन दोनों का व्यावहारिक रूप स्त्री विरोधी है। अपने व्याख्यानों में उन्होंने जाति वर्ग और जेंडर के आधार पर स्त्रियों के साथ होते भेदभाव को रेखांकित किया तथा बहुत से कानून किस तरह धार्मिक वैधता का सहारा लेकर इस भेदभाव को बढ़ाते हैं, इसे स्पष्ट किया।

दूसरे दिन अरविंद जैन की एक कहानी 'लापता लड़की' पर एक कार्यशाला आयोजित की कई। जिसमें उन्होंने कहानी पाठ किया, तदुपरांत उपस्थित विद्यार्थियों ने इसपर अपने विचार रखे। ये कहानी स्त्री मुद्दों पर केंद्रित एक बहस-तलब कहानी थी। जिसपर लंबी बहस हुई। इस विमर्श में स्त्री संबंधी अनेकानेक प्रश्न और मुद्दे उठे जिनपर अंत में अरविंद जैन ने अपना विशेषज्ञापूर्ण व्याख्यान दिया। गौरतलब है कि इस विमर्श में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थी एवं शोधार्थी उपस्थित थे। इस बहस में सुश्री चित्रलेखा अंशु, राजकुमार, अस्मिता, आरती, पूजा, मयूरी, रोहित, ज्योती राय, ऋचा, भारती, हुस्न तब्बसुम इत्यादि छात्र तथा शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन विभाग के अध्यक्ष प्रो.शंभू गुप्त ने किया।

<u>बॉक्स में ले</u> : कार्यशाला के अंत में अरविंद जैन ने घोषणा की कि स्त्री अध्ययन विभाग के हितार्थ स्त्री अध्ययन संबंधी तीन हजार पुस्तके स्त्री अध्ययन विभाग को भेट करेंगे तथा प्रत्येक वर्ष विभाग के सर्वश्रेष्ठ पीएच. डी. शोध प्रबंध को 'अरविंद जैन स्वर्ण पदक' (लगभग पचास हजार रू. राशि) प्रदान करेंगे।

बी. एस. मिरगे
जनसंपर्क अधिकारी